

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(1)न्याय/2022

जयपुर दिनांक

29 AUG 2023

::अधिसूचना::

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं दिनांक 04.02.1994 एवं 16.05.2016 की निरन्तरता में निम्नलिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के बारे में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों का उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला न्यायालय, जायल जिला नागौर (मेड़ता न्यायक्षेत्र)	जायल	स्थानीय क्षेत्राधिकार
2	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, रायसिंहनगर जिला अनुपगढ (श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र)	रायसिंहनगर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
3	अपर जिला न्यायालय, फागी जिला दूदू (जयपुर जिला न्यायक्षेत्र)	फागी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
4	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, खेतडी जिला नीम का थाना (झुंझुनू न्यायक्षेत्र)	खेतडी	स्थानीय क्षेत्राधिकार

राज्यपाल के आदेश से,

(जान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव

**RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR**

No. Gen./II/22/2023/...137/8

Date: 31/8/2023

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The concerned District & Sessions Judge.
3. The concerned Chief Judicial Magistrate
4. The concerned Court .
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.

REGISTRAR (RULES)